न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी: श्री मनोज सोंलकी, **R.A.S.**

प्रकरण संख्या: 17 / 2019 दायर दिनांक 11.12.2019

1. कैलाश पुत्री उँकार (पत्नि नरेन्द्र) जाति भील निवासी गढ़ बारी तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. काली पत्नि उँकार जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. खातु पत्नि रोषनलाल जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. पारू पुत्री उँकार (पत्नि पृथ्वीराज) जाति भील निवासी नारायणगढ़ तहसील सैलाना जिला रतलाम (मध्य प्रदेश)
5. राकेश पुत्र रोशनलाल जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. रामसिह पुत्र उँकार जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. शारदा पुत्री उँकार (पत्नि हरिश) जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. सामा पुत्री उँकार (पत्नि खातुराम) जाति भील निवासी फेफर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. नुरा बैवा गौतम उम्र वयस्क जाति भील निवासी ककई डुगंरी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अरविन्द पिता गौतम जाति भील निवासी ककई डुंगरी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज.का.अधिनियम ।

उपस्थिति

श्री नन्दलाल पुरोहित एड़वोकेट :– वादीगण की और से।
प्रतिवादीगण की और से एकपक्षीय।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

संक्षिप्त मे प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व,आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 374 नया, 356 पुराना के सर्वे नम्बर 182 रकबा 0.8009 हैक्टेयर यानि 5 बीघा लगान 0.25 रूपया वाके ग्राम दानपुर पटवार हल्का दानपुर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) मे स्थित होकर वादीगण अपने पुर्वजो के समय से काबिज काश्त है तथा उपरोक्त कृषि भूमि का मूल खातेदार कृषक उँकार पिता विठ्ठल जाति भील निवासी दानपुर थे ओर वे काश्त करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने काश्त नही की है। वादीगण ने यह भी अभिवचन किया कि उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि मे अवेध व अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की नियत से दिनांक 02.11.2019 को प्रवेश होकर जे.सी.बी. मशीन से अवेध निर्माण करने के लिये नींव खुदाई करने लगे वादीगण को उक्त घटना की जानकारी होने पर मौके पर उपस्थित होकर प्रतिवादीगण को उक्त कार्य करने से रोकने गये तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकाने लगे ओर यह कहने लगे कि इस जमीन पर हम कब्जा करेगे। तुम्है जो करना है कर लो। उक्त घटना की सूचना वादीगण ने थाने मे दी। परन्तु प्रतिवादीगण नही मान रहे है ओर वादीगण को बेदखल करने को उतारू है उनके शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा कर रहे है जिसके लिए वादीगण उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी आधिपत्य नही रहा है परन्तु वादीगण मजदुरी हेतु बाहर चले जाने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति वादीगण के पक्ष मे है। वादीगण ने अनुतोष मे स्थाई निषेधाज्ञा की मॉग की है। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। जो उक्त सम्मन की तामिल दिनांक 05.02.2020 को होने के बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादीगण के दिनांक 10.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे दिनांक 02.03.2021 को पी.ड़ब्ल्यू. 1 राकेश, 2 मानजी ;ड़ब्ल्यू. 3 देवीलाल के शपथ–पत्र प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य मे श्रीमान तहसीलदार छोटीसरीवन को परिवाद प्रदर्श 1 , जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 374 नई ,356 पुरानी प्रदर्श 2 , नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 , खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 , पोस्टल रसीद प्रदर्श 5 पेश किए गए है। प्रकरण एकपक्षीय होने से तनकीय़ात कायम नही की गई है। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने से वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस यह निवेदन किया कि वादीगण खातेदारी कृषक है तथा वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे बहैसियत खातेदार नाम दर्ज है एवं प्रतिवादीगण विवादग्रस्त सर्वे नम्बर मे अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने को उतारू है तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे कश्त मे व्यवधान पैदा कर रहै है और धमकिया भी दे रहे है। यदि वादीगण के हक मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो वादीगण अपनी सम्पतित उपयोग–उपभोग से वंचित हो जाऐगे ओर वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका

Scanned with OKEN Scanner

रूपयो मे मुल्यांकन नही हो सकेगा। वादीगण की उक्त दस्तावेज साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अवगत कराया और यह बताया कि वादीगण रेकार्डेड़ खातेदार है। जिस कारण वह अपने कब्जे काश्त व हक को संरक्षित रखने का कानूनन अधिकार रखते है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई और पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दसतावेज प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 374 नई , 356 पुरानी मे उल्लेखित सर्वे नम्बर 182 रकबा 0.8009 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा लगान 0.25 रूपया वाके ग्राम दानपुर पटवार हल्का दानपुर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) मे स्थित , वादीगण के खातेदार कृषक होने की पुष्टि होती है। वादीगण के द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत करने के पुर्व एक परिवाद तहसीलदार छोटीसरवन का प्रदर्श 1 प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादीगण के द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के सम्बन्ध मे उल्लेख किया है। जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण व्यवधान पैदा कर रहे है। उक्त परिवाद रजिस्टर्ड डाक से भी तहसीलदार छोटीसरवन को प्रेषित किया गया है। जिसकी रसीद प्रदर्श 5 है। प्रतिवादीगण के द्वारा बावजुद सम्मन तामिल के वादीगण के वाद का किसी प्रकार से खण्ड़न नही किया गया है। और न ही न्यायालय मे उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगण वादीगण के वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करने एवं अवैध निर्माण करने की नियत से वादग्रसत भूमि मे अतिक्रमण कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से नही रोका गया तो वादीगण अपनी सम्पत्ति का निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग नही कर पायेगे और उन्है अपूर्ण क्षति होगी जिसके लिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का गहनता से मनन करने पर यह निर्विविवादित रूप से साबित है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण खातेदारी है तथा वादीगण का कृषि भूमि पर कब्जा होना व काश्त करना उनकी साक्ष्य से साबित है। वादीगण अपने वाद को साबित करने मे सफल रहे है।

: : आदेश : :

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 374 नई , 356 पुरानी मे उल्लेखित सर्वे नम्बर 182 रकबा 0.8009 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा लगान 0.25 रूपया वाके ग्राम दानपुर पटवार हल्का दानपुर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) मे स्थित वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे एवं उपयोग–उपभोग मे प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नही करे , अतिक्रमण नही करे , अवैध निर्माण कार्य नही करे और न ही ऐसी कृत्य किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। ड़िक्री पर्चा तदनूसार जारी हो।

निर्णय दिनांक 07.07.2022 को सरे इजलास मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनोज सोलंकी)
उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसरवन,जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रारम्भिक डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 17 जाब्ता दिवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा व इजलास श्री मनोज सौंलकी, R.A.S.

प्रकरण संख्याः 20/2019 दर्ज तारीख 11.12.2019

उनवान मुकद्दमा

1. कैलाश पुत्री उँकार (पत्नि नरेन्द्र) जाति भील निवासी गढ़ बारी तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. काली पत्नि उँकार जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. खातु पत्नि रोशनलाल जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. पारू पुत्री उँकार (पत्नि पृथ्वीराज) जाति भील निवासी नारायणगढ़ तहसील सैलाना जिला रतलाम (मध्य प्रदेश)
5. राकेश पुत्र रोशनलाल जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. रामसिह पुत्र उँकार जाति भील निवासी छलियाबड़ी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. शारदा पुत्री उँकार (पत्नि हरिश) जाति भील निवासी कमलीपाड़ा तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. सामा पुत्री उँकार (पत्नि खातुराम) जाति भील निवासी फेफर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. नुरा बैवा गौतम उम्र वयस्क जाति भील निवासी ककई डुगंरी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अरविन्द पिता गौतम जाति भील निवासी ककई डुंगरी तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज.का.अधिनियम ।

उपस्थिति

श्री नन्दलाल पुरोहित एड़वोकेट :– वादीगण की और से।
प्रतिवादीगण की और से एकपक्षीय।

प्रकरण संख्या 20/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण की ओर से श्री नन्दलाल पुरोहित जानिब प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण की ओर से एक तरफा मिनजानिबमुद्‌यल पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीगण का

Scanned with OKEN Scanner

वाद स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 374 नई , 356 पुरानी मे उल्लेखित सर्वे नम्बर 182 रकबा 0.8009 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा लगान 0.25 रूपया वाके ग्राम दानपुर पटवार हल्का दानपुर तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) मे स्थित वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त मे एवं उपयोग–उपभोग मे प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नही करे , अतिक्रमण नही करे , अवैध निर्माण कार्य नही करे और न ही ऐसी कृत्य किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे।

नोज.............................. मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.07.2022 को जारी की गई।

मुहर

(मनोज सोलंकी)
उपखण्ड अधिकारी ,
छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्धालय	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		मुतफरिक	

उपखण्ड अधिकारी ,
छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner